# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 345/2016** **दायरा दिनांक : 05.10.2016**

**उनवान**

1– नैनगा पुत्र धन्ना लाल, जाति रेगर, निवासी बडां, तहसील बारां, जिला बारां

2– रामकरण पुत्र धन्ना लाल, जाति रेगर, निवासी बडां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 07.12.2017**

**1** यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 138/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बडां तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 1344 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 1.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 2218 रकबा 1.88 हेक्टर कुल 4 किता की 4.88 हेक्टर आराजी स्थित है । इस आराजी के सहखातेदार नैनगा, रामकरण पुत्र धन्ना लाल, लाली बेटी कजोड राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । राजस्व अधिकारी/कर्मचारी ने त्रुटिवश लाली बेटी कजोड का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया है । लाली धन्ना व कजोड की मां थी जिसका देहान्त 50 साल पूर्व हो चुका है जिसका फोती इंतकाल राजस्व कर्मचारियों ने आज तक नहीं खोला है । लाली की मृत्यु के बाद उसका कोई वलि वारिस नहीं रहा है । वादीगण ही एक मात्र धन्ना लाल एवं कजोड के वारिस एवं कायम मुकामान हैं । राजस्व रेकार्ड में लाली का नाम अंकित होने से ऋण लेने एवं क्रेडिट कार्ड बनवाने में व्यवधान हो रहा है । अतः वादीगण के दावे को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाये और वादीगण की जाति चमार के स्थान पर रेगर संशोधित की जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही दावा खारिज किया है । सी पी सी की पालना नहीं की गयी है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में दावा खारिज किया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । वादी को साक्ष्य का अवसर नहीं मिला है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

7 पैरोकार सरकार ने कथन किया कि दावा वादी चलने योग्य नहीं था । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

8 दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये हैं । यह मृत्यु प्रमाण पत्र कजोड और लाली बाई के हैं ।

9 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

10 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी नैनगा, रामकरण बेटा धन्नालाल, लाली बेटी कजोड, जाति चमार दर्ज है । इसके अलावा बयान रामकरण और नैनगा पत्रावली में सलंग्न है ।

11 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 07.01.2016 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली तनकीयात में लम्बित थी और उसमें आगामी दिनांक 22.06.2016 नियत की गई थी । इसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 22.06.2016 को लोक अदालत में रखी गई और उसी दिन तनकीयात कायम की गई । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित है और वादीगण के बयान लिये गये हैं और उसी दिन निर्णय पारित करते हुए दावा खारिज कियाक है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है ।

12 वादीगण की ओर से दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि लाली कजोड की बेटी नहीं थी, धन्ना और कजोड की मॉ थी जिनका देहान्त हो चुका है । वादीगण ही धन्ना और काजेड के वारिस हैं । अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार की ओर से जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें लाली को कजोड की पुत्री बताया गया है और उसकी पत्नी केसर को नाते जाना अंकित किया गया है । इसके अलावा धन्ना लाल के पुत्र नैनगाराम और रामकरण बताये गये हैं । पुत्री घीसी बाई का फोत होना अंकित किया गया है और पत्नी डाली बाई का भी फोत होना अंकित किया गया है । तहसीलदार के द्वारा

जवाबदावे में जो शजरा बताया गया है उसके अनुसार प्रकरण में कुछ आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट के द्वारा अपील में कुछ दस्तावेजात (मृत्यु प्रमाण पत्र) पेश किये हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में वह पेश नहीं कर पाये हैं । हम न्याय हित में इन दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय किया जाना आवश्यक समझते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाये और वादी अपीलांट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाकर वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अपीलांट के द्वारा इस अपील में पेश किये गये मूल दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये जावे व प्रति इस पत्रावली में सलंग्न की जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

12 निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा